वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर, 2017-भाद्र 10, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड

फ्री-प्रेस हाऊस, 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर-452011

दिनांक 22 अगस्त, 2017

[नियम-7 (5) देखिए]

[अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (6) के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना क्षेत्र के प्रकाशन की सूचना]

क्र./एकेवीएन/इं/प्लानिंग/2017/13814.—मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24, सन् 2013) की धारा-4 उपधारा (6) के अधीन निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम (पीथमपुर) के अनुमोदित योजना क्षेत्र को मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-7 के उप-नियम (5) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अन्तिमरूप से प्रकाशित किया जाता है और उक्त योजना क्षेत्र की प्रतियाँ एजेन्सी के निम्नलिखित कार्यालय में 90 दिन के लिये निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध है:-

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड

फ्री-प्रेस हाऊस, 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर-452011

उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति, योजना क्षेत्र (अंतिम) के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर, अपीलीय प्राधिकारी (संचालक मण्डल, एम. पी. ट्रायफेक) को अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

कुमार पुरूषोत्तम,
प्रबंध संचालक,

(332-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश कुमार पसेरिया तनय स्व. श्री कारेलाल पसेरिया, आयु 46 वर्ष, वार्ड न. 14, साम्हू घाट बिहारी जी मन्दिर के पास नागोद,

जिला सतना मध्यप्रेदश का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे समस्त सर्विस अभिलेखों में मेरा सरनेम डोमार लिखा है पसेरिया और डोमार एक ही वर्ग की श्रेणी में आते हैं. अत: मैं, अपना सरनेम डोमार को परिवर्तित कर पसेरिया कर लिया हूँ. अब मुझे कमलेश कुमार पसेरिया के नाम से जाना, पहचाना व सभी अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(कमलेश कुमार डोमार) **(कमलेश कुमार पसेरिया)**

(321–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सौम्या बावनकुले पत्नी गौरव बावनकुले, मेरा पुराना नाम अरूणा जिभकाटे था, विवाह अपरांत मेरा नाम परिवर्तित हो गया है. अत: मुझे सभी दस्तावेजों में सौम्या बावनकुले पत्नी गौरव बावनकुले नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(अरूणा जिभकाटे) **(सौम्या बावनकुले)**

(322–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष भैंसारे पुत्र श्री प्रताप सिंह भैंसारे सर्व–साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सरनेम भैंसारे को हटाकर मनीष प्रताप सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह भैंसारे हो गया है. अत: मेरे नाम के आगे जहां भी भैंसारे लिखा है उसे हटाकर मेरा नाम मनीष प्रताप सिंह पढ़ा व पुकारा जाए.

पुराना नाम : नया नाम :

(मनीष भैंसारे) **(मनीष प्रताप सिंह)**

(MANISH BHAISARE) **(MANISH PRATAP SINGH)**

(323–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पाडूरंग पिता काशिनाथ पवार, निवासी वार्ड क्रमांक 44, मकान नंबर 18/2 कोष्टी की चाल, मिल चाल लालबाग,बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सर्व–साधारण को सूचित करता हूँ मैंने अपना नाम पाडूरंग पिता काशिनाथ पवार के स्थान पर परिवर्तित कर नारायण पिता काशिनाथ पवार कर लिया है तथा मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों के रूप में मेरे नवीन नाम नारायण पिता काशिनाथ पवार के रूप में ही मुझे जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(पाडूरंग) **(नारायण)**

पिता काशिनाथ पवार. पिता काशिनाथ पवार.

(324–बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्ताविक व सही नाम "नरेश कुमार सदावना" तथा मेरा यह नाम मेरे अधिकांश दस्तावेज शैक्षणिक, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड आदि में दर्ज/अंकित है. मेरा घरेलू नाम "संजय बजाज" है व मेरा यह घरेलू नाम भी मेरे दस्तावेजों (सम्पत्तियों) में दर्ज/अंकित है. उक्तानुसार वर्णित दोनों नाम क्रमश: मेरा वास्तविक व सही नाम "नरेश कुमार सदावना" तथा मेरा घरेलू नाम "संजय बजाज" यह दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे स्वयं के नाम हैं व मैं अपने उक्त दोनों नामों से जाना–पहिचाना व संबोधित किया जाता हूँ.

(नरेश कुमार सदावना)
जनक पिता श्री पिताम्बर दास सदावना,
(संजय बजाज),
दत्तक पिता झामनदास बजाज,
133, प्रिकांको कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(325–बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि श्रीमती ऊषा भरदेलिया, गाँधी चौक, खनियाधाना, जिला शिवपुरी के पति श्री अजय कुमार भरदेलिया का स्वर्गवास दुर्घटना में दिनांक 21-09-2016 को हो गया था. स्व. पति द्वारा सेवा पुस्तिका में ससुराल में घर का नाम रीना भरदेलिया लिखा गया है. प्रार्थिनी के मायके का नाम ऊषा है, जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में है. मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वत्वों का भुगतान ऊषा भरदेलिया के नाम से किये जाने में किसी को आपित्त हो या हक समझता हो तो 15 दिवस में प्रार्थिनी के उक्त पते पर आपत्ति दर्ज करा सकता है. अन्यथा ऊषा भरदेलिया को वैध पत्नि मानकर जाना जायेगा.

प्रेषक

(ऊषा)

पत्नि स्व. अजय कुमार भरदेलिया,
गाँधी चौक, खनियाधाना,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(326-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण व आम जनता को जाहिर सूचना के माध्यम से अवगत व सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे पिता द्वारा धार्मिक परम्परा, गुरूग्रंथ साहेब के अनुसार सतपालसिंह पिता सुजानसिंह गुरूतत्ता रखा गया था और मुझे बचपन से घर परिवार व समाज में सतपालसिंह के नाम से ही जाना-पहचाना व पुकारा जाता है तथा मेरा नाम सतपालसिंह के नाम से ही लिखा भी जाता रहा है और मेरा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रईविंग लायसेंस में सतपालसिंह गुरूतत्ता नाम ही दर्ज है.

मेरे पिता द्वारा मुझे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के समय भी मेरा नाम सतपालसिंह ही लिखवाया जाने हेतु कहा गया था परन्तु विद्यालय अभिलेख में सतपालसिंह के स्थान सत्यपालसिंह दर्ज करा लिया गया था. जो मेरी प्राथमिक विद्यालय के दस्तावेजों हायर सेकेण्डरी अंकसूची व महाविद्यालय के दस्तावेजों में अंकसूची व डिग्री में सत्यपालसिंह दर्ज हो गया था.

बैंक सेवा अभिलेख में नियुक्ति पत्र में मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सत्यपालसिंह किया गया है, और उसी नाम से मुझे नियुक्ति भी दी गई है.

मुझे मेरे नियोक्ता सैंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक प्रका/06/एचआरडी/2017-18/704, दिनांक 17 जून, 2017 के द्वारा नाम में आंशिक परिवर्तन सत्यपालसिंह गुरूतत्ता के स्थान पर सतपालसिंह गुरूतत्ता करने हेतु आवश्यक कानूनी प्रक्रिया करने की अनुमती सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है.

मेरा नाम धार्मिक परम्परा व गुरूग्रंथ साहेब के अनुसार सतपालसिंह रखा गया है, जो हमारे धर्म अनुसार सही है, और मैं अपने नाम को सतपालसिंह के नाम से ही सभी कार्यालय अभिलेखों, नियुक्ति पत्र व सेवा अभिलेख व शैक्षणिक दस्तावेजों में व बैंक प्राविडेंट फण्ड, बीमा पॉलिसियों आदि अन्यान्य सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ, और उसके लिए समर्थन में यह जाहिर सूचना प्रकाशन करवा रहा हूँ.

पुराना नाम :

(सत्यपालसिंह)

पिता सुजानसिंह गुरूतत्ता.

नया नाम :

(सतपालसिंह गुरूतत्ता)

पिता सुजानसिंह गुरूतत्ता,
निवासी-24, अंशुल विहार,लालघाटी रोड,
मंदसौर, जिला मंदसौर.

(327-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बोलता नाम अनमोल गर्ग है. जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट इत्यादित में वत्सल गर्ग है. मुझे वत्सल गर्ग के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे वत्सल गर्ग के नाम से सम्बोधित किया जाये. आम-जन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(अनमोल गर्ग)

नया नाम :

(वत्सल गर्ग)

पत्तलवाली गली, ढोली बुआ का पुल,
ग्वालियर.

(333-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ने दिनांक 01-07-2017 से फर्म के वर्तमान पते B. T. I. के पास, तलैया फील्ड, पन्ना को बदलकर E7/60, अशोक सोसायट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल कर लिया है.

मैसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
S. K. AGARWAL,
पन्ना.

(320-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रार्थी फर्म मैसर्स भगवान ग्रुप, 104, दुर्गा नगर, लहार रोड, भिण्ड, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/00225/13, दिनांक 16-01-2013 है जिसमें दिनांक 01-07-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री उमेश सिंह पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, आयु 29 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर, लहार रोड, भिण्ड व पक्षकार क्रमांक 3 श्री शम्भू सिंह पुत्र श्री दामोदर सिंह, आयु 45 वर्ष, निवासी न्यू लक्ष्मी कॉलोनी, वाटर वर्क्स, भिण्ड जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स भगवान ग्रुप,
भगवान सिंह,
(पार्टनर).

(328-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रार्थी फर्म मैसर्स सिंघल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, एम. एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक ARG/FIRM/86/2004-05, दिनांक 28-02-2005 है जिसमें दिनांक 01-04-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री विशम्भर दयाल सिंघल पुत्र श्री रामजी लाल सिंघल व पक्षकार क्रमांक 3 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंघल पुत्र श्री शंकर लाल सिंघल व पक्षकार क्रमांक 4 श्री सतीष कुमार पुत्र श्री शंकर लाल सिंघल तथा पक्षकार क्रमांक 5 श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल सिंघल जोकि अपनी स्वेछा से पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर नवीन साझेदार के रूप में पक्षकार क्रमांक 2 श्री आकाश सिंघल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंघल व पक्षकार क्रमांक 3 श्री राधे श्याम बंसल पुत्र श्री बाबू लाल बंसल व पक्षकार क्रमांक 4 श्रीमती सरोज बंसल पत्नि श्री विनोद बंसल तथा पक्षकार क्रमांक 5 श्रीमती रेनू बंसल पत्नि श्री सौरव बंसल जो कि नवीन साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म में चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स सिंघल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
आकाश सिंघल,
(पार्टनर).

(329-बी.)

NOTICE

U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s J.B.B AIR SERVICES" of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/01/01/00257/11, Date of Registration 23-09-2011 undergone the following changes:-

1. That Mr. Shivam Rai S/o Shri Deen Dayal Rai has shown his desire to join the Partnership firm *w.e.f.* 26-07-2017 and Mr. Chandan Vaishnav S/o Shri R. P. Vaishnav has expressed his desire to retire from the Partnership firm *w.e.f.* 26-07-2017.

2. That M/s J.B.B Air Services shall be continue to carry on the business of partnership from C-117, Bhel Sangam Society, Bagmugaliya Bhopal (M.P.) firm *w.e.f.* 26-07-2017.

"M/s J.B. B AIR SERVICES "
R.D. RAI,
(Partner)
C-117, Bhel Sangam Society,
Bagmugaliya, Bhopal (M.P.).

(330-B.)

NOTICE

U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s PRASUN PHARMA" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/0303/15, Dated 2-11-2015 has undergone the following changes :-

1. That Mr. HITESH SAMPAT S/o Mr. NARENDRA SAMPAT has joined the partnership firm *w.e.f.* 01-05-2017.

"M/s PRASUN PHARMA"
SANJAY LOHIA,
(Partner)
G-2, Minoti Complex, B-Sector,
Kolar Road, Bhopal (M.P.).

(331-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मैसर्स बालाजी एग्रो इण्डस्टीज, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया मण्डी सीहोर, जिसका पंजीयन क्रं. 01/02/01/0083/16, दिनांक 24 जून, 2016 है. जिसका दिनांक 31-05-2017 से विघटन कर दिया गया है. दिनांक 01-06-2017 से दोनों भागीदार अपना-अपना व्यवसाय करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे.

मैसर्स बालाजी एग्रो इण्डस्टीज,
दुर्गेश कुमार मिस्त्री,
(भागीदार)
इण्डस्ट्रीयल ऐरिया मण्डी, सीहोर.

(334-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग दतिया

प्र.क्र. 01/बी-113/2016-17.

दतिया, दिनांक 08 अगस्त, 2017

उद्घोषणा

बनाम:- आम-जनता

जरिये उद्घोषणा द्वारा आम-जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकास गोस्वामी पुत्र सुरेश चन्द्र एवं आकाश शिवहरे पुत्र देवीप्रसाद, निवासी ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन 1951 की धारा-4 के तहत "केयर एण्ड अवेयर फाउण्डेशन" के गठन किये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. न्यास का पूरा नाम- "केयर एण्ड अवेयर फाउण्डेशन"

2. न्यास का कार्यालय का स्थायी पता-पार्वती बिहार कॉलोनी, उनाव रोड दतिया.

लोक न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य:-

मानसिक रोगी, बेसहारा, अनाथ बच्चों एवं गरीब लोगों को चिकित्सा, शिक्षा एवं आश्रय स्थल उपलब्ध कराना. शिशु गृह, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम एवं छात्रावास संचालित करना. वरिष्ठ नागारिकों के अनुभव से शिक्षा के प्रसार प्रचार हेतु विद्यालय एवं कॉलेज संचालित करना जल संरक्षण हेतु कार्य करना. प्राकृतिक आपदा में मदद, कुपोषण, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना. महिलाओं के उत्थान हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, नशा मुक्ति हेतु आंदोलन, ड्रग से पीड़ित व्यक्तियों आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, पुनर्वास केन्द्र एवं परामर्श केन्द्रों का संचालन करना. दवा वितरण, केंसर, सामाजिक कुरीतियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना.

3. न्यास की चल/अचल संपत्ति का विवरण:- 50,000 रुपये.

4. न्यास की आय का स्त्रोत:- न्यासी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दान में दी गई राशि एवं सरकारी अनुदान.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

वीरेन्द्र कटारे,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1435)

न्यायालय लोक न्यास, पंजीयन एवं अनुविभागीय अधिकारी नागदा, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 04/बी-113/13-14.

प्रारूप क्र. 5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक नागदा, जिला उज्जैन के समक्ष.

यह मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (04) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती हूँ.

अब इसलिये मैं, पंकज मारु नि. नागदा जं. ने स्नेह सूरजबाई चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागदा जं. लोक न्यासों का पंजीयक नागदा जं., जिला उज्जैन मेरे न्यायालय में 15-07-14 के 30 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	स्नेह सूरजबाई चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट
कार्यालय	:	3/10 आदर्श गांधी ग्राम कॉलोनी, नागदा जं., जिला उज्जैन
चल सम्पत्ति	:	निल.
अचल सम्पत्ति	:	5 हजार वर्ग फिट भूमि सर्वे क्र. 240/2 ग्राम पाडल्याकला

रजनीश श्रीवास्तव,

(1436) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजयीक, पब्लिक ट्रस्ट बरेली, जिला रायसेन

[धारा-5(2)मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30 सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अंतर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा उप-धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है.

अतएव मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 02-06-16 इस मामले की जांच करना चाहता हूँ.

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें, और उपरोक्त दिनांक को स्वंय या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थि हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : मंदिर श्री रामजानकी ग्राम हरसिली, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन म.प्र.

(1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण :-

1. भगवत सिंह ठाकुर आ. श्री रामरतन सिंह ठाकुर, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली. (अध्यक्ष)
2. धनराज सिंह आ. श्री धर्मदास सिंह ठाकुर आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली. (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

3. गुलाब सिंह आ. श्री रतन सिंह ठाकुर (करिष्ठ उपाध्यक्ष)
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

4. राजेश सिंह आ. श्री भैरव सिंह ठाकुर (सचिव)
आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

5. गोपाल सिंह आ. सदाराम ठाकुर (कोषाध्यक्ष)
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

6. गंगाराम आ. श्री गजराज सिंह ठाकुर (सदस्य)
आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

7. मनमोद सिंह आ. श्री सेठराज ठाकुर (सदस्य)
आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

8. शंकर सिंह (बखा) आ. श्री बारेलाल ठाकुर (सदस्य)
आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

9. रघुवीर सिंह आ. हरचरणलाल ठाकुर (सदस्य)
आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

10. शंकरसिंह (कर्चली) आ. श्री निरपत सिंह ठाकुर (सदस्य)
आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

11. माखनलाल दुवे आ. श्री नर्वदा प्रसाद दुवें (सदस्य)
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम हरसिली.

12. तहसीलदार तहसील बाड़ी (पदेन) (संरक्षक)

13.

न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण:-

(अ) भूमि सर्वे क्र. 25/2 रकबा 0.07 एकड़

(ब) भूमि सर्वे क्र. 39/1 रकबा 1.33 एकड़

(स) भूमि सर्वे क्र. 41/1/2 रकबा 3.00 एकड़

(द) धर्मशाला 30 वाय 30 फिट जिसके पूर्व में बारेलाल का मकान, पश्चिम में मंदिर, उत्तर में स्व. गोपाल सिंह का मकान दक्षिण में सेवा सहकारी संस्था स्थित है.

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण:-

एक तखत, एक स्टूल, एक बड़ा मचान, एक भगवान का झूला, एक भगवान का विमान, एक तावे का लोटा, एक तावे का छोटा जग, चार वाल्टी स्टील की, एक मिक्सी, एक पीतल की थाली, एक छोटी कढ़ाई, एक पीतल लोटा, एक ग्लास, एक कोंचा बडा लोहे का, एक कल्ची बड़ी स्टील की, एक टंकी, टीन की बड़ी पेटी, एक लोहे की छोटी पेटी, एक चादर फर्स की माईक मशीन एक, हारमोनियम, ढोलक एवं मजीरा, दो बड़ी दरी, छै उनी कम्बल.

(2) न्यास की आय के स्त्रोत:-

(1) प्राकृलित मूल्य 20,00,000 रु.

(2) कृषि भूमि की नीलामी एवं दान 20,000 रु.

न्यास की प्रमुख आमदानी का स्त्रोत न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा.

(3) औसत वार्षिक आय :- 60,000/- रु. अक्षरी साठ हजार रुपये प्रतिवर्ष.

न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बंध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 25 अगस्त, 2016 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

ओ. पी. सोनी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी
(1437) (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मझगवां एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-5

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगवां, जिला सतना के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मझगवां एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना, लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 01 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(1438)

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगवां, जिला सतना के समक्ष.

आवेदक रामस्वरूप तनय रामचरण लेखरा, निवासी लवकुश नगर लौंडी, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम पता : अखिल भारतीय लखेरा धर्मशाला ट्रस्ट चित्रकूट, सतना रोड चित्रकूट, जिला सतना म.प्र.

2. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम रजौला की आराजी नं. 23/16, 25/2 व 27/24 कुल रकबा 0.043 हे.(धर्मशाला निर्माण हेतु).
3. चल सम्पत्ति	:	15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र).

उक्त विज्ञपत्ति आज दिनांक 30 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

ए. पी. द्विवेदी,

(1438-A) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

क्र./1688/प्रवा./17.

सारंगपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962 की धारा-5(2) देखिये]

शीर्षकः-सरदार पटेल मानव सेवा ट्रस्ट पंजीयन लोक न्यास के समक्ष.

क्र./ /बी-121/2016-17.—चूंकि श्री अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाटीदार, निवासी शिवधाम कॉलोनी पचोर द्वारा जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविध-स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो इसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अवधि सूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें.

उक्त नियत अवधि के पश्चात सुझाव, आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट-अ

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	सरदार पटेल मानव सेवा ट्रस्ट शिवधाम कॉलोनी पचोर द्वारा जिला राजगढ़ म.प्र.
2. न्यास की चल संपत्ति का विवरण	:	5100/- रुपये (इक्कावन सौ रुपये)
3. न्यास की अचल संपत्ति का विवरण	:	निरंक.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 11 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

रमेश पाण्डेय,

(1439) अनुविभाीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यतः कि श्री महेन्द्र प्रसाद तिवारी तनय स्व. काशी प्रसाद तिवारी, निवासी जवाहर नगर, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के

प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	गायत्री शक्ति पीठ ट्रस्ट मुख्तियारगंज, सतना.
2. अचल सम्पत्ति	:	आ. नं. 581/1/2/7 अमौधाकला.
3. चल सम्पत्ति	:	78,64,445.00 रुपये बैंक खाता में जमा.

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

बलवीर रमण,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1440)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक शिव वाहिनी सेवा न्यास, पता-2, इमली बाजार, बी. एम. कॉम्पलेक्स, द्वितीय मंजिल, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी मनीष पिता श्री दाउलाल बिन्नानी, पता-डी-39, सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा शिव वाहिनी सेवा न्यास इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : "शिव वाहिनी सेवा न्यास"

2. पता	:	कार्यालय-2, इमली बाजार, बी. एम. कॉम्पलेक्स, द्वितीय मंजिल, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
3. चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) नगद है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1441)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक लर्न फाउंडेशन फॉर एम्पॉवरमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट, पता-25, बैराठी कॉलोनी नं. शिकर पुर धर्मशाला के सामने इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री नवदीप पिता सोमदेव यादव अन्य-1 के द्वारा लर्न फाउंडेशन फॉर एम्पॉवरमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"लर्न फाउंडेशन फॉर एम्पॉवरमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट"
पता	:	कार्यालय-25, बैराठी कॉलोनी नं. शिकर पुर धर्मशाला के सामने इन्दौर (मध्यप्रदेश).
चल संपत्ति	:	न्यास की वर्तमान में चल सम्पत्ति में नगद 10,000/- (दस हजार मात्र) है जिससे न्यास का प्रारम्भ किया जा रहा है.
अचल संपत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 02 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

(1452)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

प्रकरण का विवरण:-

परिक्षेत्र जगमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक सिमरिया हेतु परिक्षेत्र सहायक हेमर निम्नानुसार आकृति का आवंटित किया गया था. उप-वनमण्डलाधिकारी जगमण्डल के पत्र क्रमांक 1354, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्तमान परिक्षेत्र सहायक सिमरिया द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 को सिमरिया वृत्त का प्रभार प्राप्त किया गया, किन्तु हेमर प्राप्त न होने की सूचना दिनांक 16 जुलाई, 2016 लगभग $1^1/_2$ माह पश्चात् दी गई है. इस प्रकार परिक्षेत्र सहायक सिमरिया द्वारा लापरवाही बरती गई, इसी प्रकार परिक्षेत्र कार्यालय से उक्त सूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2016 को कार्यालय उप-वनमण्डलाधिकारी जगमण्डल में विलम्ब से भेजी गई. इस लापरवाही के कारण संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित हेतु प्रतिवेदित किया गया है.

तत्संबंध में कार्यालीयन पत्र क्र./मा.चि./1329, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 से श्री फागूलाल जंघेला, परिक्षेत्र सहायक, सिमरिया को प्रभार सूची में हेमर दर्शित है किन्तु हेमर प्राप्त न होने की सूचना लगभग $1^1/_2$ माह पश्चात् दी गई है, जो कि घोर लापरवाही का प्रतीक होने से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है तथा कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./1356, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 से परिक्षेत्र अधिकारी जगमण्डल को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है.

उप-वनमण्डलाधिकारी जगमण्डल के पत्र क्र./1719, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 से संबंधितों के विरुद्ध शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित तथा पूर्व में प्रदायित हेमर अपलेखित करने एवं नया हेमर प्रदाय करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. उपवनमण्डलाधिकारी जगमण्डल के प्रतिवेदनानुसार हेमर के अपलेखन की कार्यवाही करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./1559, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 से परिक्षेत्र अधिकारी जगमण्डल को संबंधित पुलिस थाना में हेमर गुम होने की एफ. आई. आर. दर्ज कराकर रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने हेतु लेख करने पर परिक्षेत्र अधिकारी जगमण्डल द्वारा अपने पत्र क्र./1235, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 से हेमर गुम होने की सूचना पुलिस चौकी अंजनिया में प्रस्तुत कर प्रति प्रस्तुत की गई है. अत: हेमर अपलेखन के संबंध में मैं आदेश देता हूँ कि :-

आदेश

आ.क्र./288 मण्डला, दिनांक 28 जून, 2017

वन वित्तीय नियम, 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नांकित आकृति का 1 पर्सनल हेमर भण्डार से अपलेखित करने एवं हेमर के पुस्तकीय मूल्य रुपये 97/- वसूल करने का आदेश दिया जाता है. किन्हीं भी व्यक्ति द्वारा अंकित आकृति के हेमर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर अवैधानिक होगा. उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति के द्वारा उक्त हेमर गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

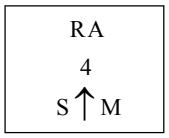

पी. पी. टिटारे,
(1447) वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य रायसेन

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वन परिक्षेत्र गढ़ी द्वारा उनके पत्र क्रमांक1249, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक गैरतगंज के प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक श्री हिम्मत सिंह वर्मा, वनपाल का दिनांक 11 जून, 2017 को हृदय गति रूक जाने के कारण आकस्मिक निधन हो गया. जिसके उपरांत श्री राकेश प्रसाद राय वनपाल को वन वृत गैरतगंज का परिक्षेत्र सहायक पदस्थ किया गया. दिनांक 29 जून, 2017 को स्व. श्री हिम्मत सिंह वर्मा वनपाल के बड़े भाई श्री श्यामलाल वर्मा एवं श्री शैलेन्द तिवारी वनरक्षक व अन्य पंचों के समक्ष, कार्यालय परिक्षेत्र सहायक वृत गैरतगंज का ताला श्री राकेश प्रसाद राय वनपाल द्वारा शासकीय अभिलेख निकालने हेतु खुलवाया गया. ताला खुलवाने के उपरांत प्राप्त अभिलेखों की सूची तैयार कर समस्त अभिलेख प्राप्त किये गये. किन्तु परिक्षेत्र सहायक वृत्त गैरतगंज को जारी किया गया. निम्न दर्शित हेमर प्राप्त नहीं हुआ. हेमर गुम हो जाने की सूचना श्री राकेश प्रसाद राय, वनपाल द्वारा थाना गैरतगंज में दी गई एवं उक्त हेमर को गुमा हुआ मानकर हेमर-अपलेखन किये जाने की अनुशंसा की है.

उक्त संबंध में उप-वनमण्डलाधिकारी सामान्य रायसेन के पत्र क्रमांक 2005, दिनांक 04 जुलाई, 2017 से अवगत कराया गया. ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

अत: प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-

क्र./स्टोर शाखा/123 रायसेन, दिनांक 14 जुलाई, 2017

वन वित्तीय नियम, की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग कर गुमशुदा हेमर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटम पुलिस थाने या वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

हेमर का चिन्ह:-

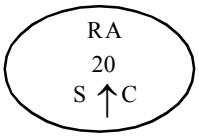

रमेश गनावा,
(1448) वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, हरदा

आदेश

आ.क्र./मा.चि./169. हरदा, दिनांक 21 जून, 2017

हरदा वनमंडल (सा.) के परिक्षेत्र मगरधा की बीट बडझिरी का पार्श्व में अंकित हेमर श्री अजय कुमार बामने बीटगार्ड उत्तर मगरधा द्वारा गुमा दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को थाना रहटगांव में दर्ज करायी गयी. बहुत खोज बीन के पश्चात् भी हेमर का पता नहीं चल सका.

अत: वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पार्श्व में अंकित हेमर को भण्डार एवं अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. उक्त हेमर की कीमत बीटगार्ड श्री अजय कुमार बामने से रुपये 800/- (आठ सौ रुपये) की उनके वेतन से एक मुस्त वसूली की जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

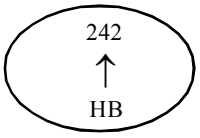

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

अनिल के. सिंह,
(1453) वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1277.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/324, धार, दिनांक 23 फरवरी, 2016 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरडावद, जिला धार, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 25 जुलाई, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरडावद, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य,
(1442) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 19 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/552.—बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 860, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./679, दिनांक 08 अक्टूबर, 2003 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 19 जुलाई, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोलें,

(1443) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांडरवानी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./907, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री आर. पी. मेहरा, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बरघाट को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं को प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांडरवानी, पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 13 जून, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./911, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री आर. पी. मेहरा, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बरघाट को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं को प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरी, पंजीयन क्रमांक 834, दिनांक 13 जून, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-A)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17/424.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसलई को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./908, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री आर. पी. मेहरा, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बरघाट को इस संस्था का परिसमापक

नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं को प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसलइ, पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 13 जून, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-B)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनौरा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री हेमसिंह श्याम, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धनौरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं को प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनौरा, पंजीयन क्रमांक 784, दिनांक 3 फरवरी, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-C)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17/426.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहता को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./178, दिनांक 14 फरवरी, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री हेमसिंह श्याम, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं को प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहता, पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 26.....,1979 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-D)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17/427.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुड़री को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री हेमसिंह श्याम, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धनौरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक

26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 12 अगस्त, 1985 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-E)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिंडरई को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री हेमसिंह श्याम, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धनौरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिंडरई, पंजीयन क्रमांक 783, दिनांक 03 फरवरी, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-F)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./उपसि./परि./17/429.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैपुरा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1542, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत् श्री हेमसिंह श्याम, सह. विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धनौरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, "नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी" मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए मैं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैपुरा, पंजीयन क्रमांक 782, दिनांक 3 फरवरी, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1445-G)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/538.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./438, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोंदीवाड़ा पं. क्र. 420, विकासखण्ड बरघाट, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोंदीवाड़ा पं. क्र. 420, विकासखण्ड बरघाट को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री दिलीप कुमार डहेरिया, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-H)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/539.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./363, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोटिया पं. क्र. 786, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोटिया पं. क्र. 786, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री दिलीप कुमार डहेरिया, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-I)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/540.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./362, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी पं. क्र. 860, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी पं. क्र. 860, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री दिलीप कुमार डहेरिया, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-J)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/541.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./369, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरी पं. क्र. 794, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरी पं. क्र. 794, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. डी. तंतुवाय, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-K)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/542.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./368, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिड्डी पं. क्र. 795, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिड्डी पं. क्र. 795, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. डी. तंतुवाय, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-L)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/543.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./365, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिखली पं. क्र. 793, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिखली पं. क्र. 793, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मदन गोपाल सोनी, उप-अंकेक्षक सहकारिता विभाग सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(1445-M)

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2017/544.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./364, दिनांक 28 मार्च, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयेगांव बंजर, पं. क्र. 851, विकासखण्ड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था, कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे.

उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. तत्संबंध में संस्था का कार्य व्यवसाय बंद होने के कारण श्री मनोहर बोपचे सर्विस प्रोवाईडर दुग्ध शीत केन्द्र बंडोल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2017 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुसंशा की गई.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयेगांव बंजर पं. क्र. 851, विकासखण्ड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मदन गोपाल सोनी, उप-अंकेक्षक, सहकारिता विभाग, सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

नरेश सिन्हा,
उप-पंजीयक.

(1445-N)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1843.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./706, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मायारामपुरा का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-A)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1844.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2069, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था माढ़ागणेश का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-B)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1845.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1188, दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था ढिंगवास का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-C)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1846.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1489, दिनांक 14 अगस्त, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी

संस्था, साबौली का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-D)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1847.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1660, दिनांक 8 नवम्बर, 2013 द्वारा गणेश मत्स्योद्योग, सहकारी संस्था, लोटन का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. वरेलिया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-E)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1848.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./766, दिनांक 4 जून, 2014 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, देवखो का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. वरेलिया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-F)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1849.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./700, दिनांक 6 अप्रैल, 2016 द्वारा राजीव गांधी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, नरवर का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. वरेलिया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-G)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1850.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2862, दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, छतपुर का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सहकारी, संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-H)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1851.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./241, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा राठौर तेल उत्पादक सहकारी

संस्था, नरवर का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. वरेलिया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-I)

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/1852.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1651, दिनांक 8 नवम्बर, 2013 द्वारा संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. वरेलिया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1446-J)

संशोधित आदेश

शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1853.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./999, दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा आदिवासी खनिज सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, पद अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(1446-K)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 01 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1568.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2052, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा किसान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गजनीखेडी, तहसील बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1449)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 8 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रियदर्शनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., निपनिया	1015/13-08-2002	450/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्था का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिमरूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

ए. एल. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1450)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1385.-राजीव महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरायठा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 691, दिनांक 08 जुलाई, 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/134, दिनांक 23 जनवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजीव महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरायठा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 691, दिनांक 08 जुलाई, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1386.-आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मदनतला, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 595, दिनांक 31 मार्च, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2875, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की

जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मदनतला, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 595, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-A)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1387.-खिमलासा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 511, दिनांक 19 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खिमलासा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 511, दिनांक 19 मार्च, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-B)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1388.-ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1220, दिनांक 19 मार्च, 2006 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/755, दिनांक 20 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1220, दिनांक 19 मार्च, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-C)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1389.-बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1240, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/207, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है.

परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1240, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-D)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1390.-बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पलकाटोर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1253, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/208, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पलकाटोर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1253, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-E)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1391.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1209, दिनांक 20 जुलाई, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/725, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1209, दिनांक 20 जुलाई, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-F)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1392.-जन सेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन

क्र. 1076, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/780, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जन सेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1076, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-G)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1393.-डॉ. अम्बेडकर चर्मकला विकास एवं निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 771, दिनांक 16 जनवरी, 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/886, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डॉ. अम्बेडकर चर्मकला विकास एवं निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 771, दिनांक 16 जनवरी, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-H)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1394.-गरीब नवाज चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 450, दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/887, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सह. निरी., जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गरीब नवाज चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 450, दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-I)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1395.-दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनायकी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन

क्र. 1118, दिनांक 19 मई, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2045, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनायकी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1118, दिनांक 19 मई, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-J)

सागर, दिनांक 26/27 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1396.-सीहोरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सीहोरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 727, दिनांक 24 फरवरी, 1998 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2244, दिनांक 28 जुलाई, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सीहोरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सीहोरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 727, दिनांक 24 फरवरी, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुऐ उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-K)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 28 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री शशि दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक,
ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी,
विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2017/1404.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार-

1. संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 जून, 2017 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि संस्था द्वारा विगत् 02 वर्षों से कार्य बंद कर दिया गया है. संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के सुचारू संचालन में रूचि नहीं ली जा रही है. अतः संस्था के परिसमापन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की जावे.

2. संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-L)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 28 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1405.-मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1311, दिनांक 18 जून, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने के एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/957 सागर, दिनांक 17 मई, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/निर्वाचन/2016/517 भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 1311, दिनांक 18 जून, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-M)

सागर, दिनांक 28 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1406.—जय श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछिया (उदयपुरा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 155, दिनांक 20 मई, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/958 सागर, दिनांक 17 मई, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/निर्वाचन/2016/517 भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. -5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछिया (उदयपुरा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 155, दिनांक 20 मई, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1451-N)

सागर, दिनांक 28 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1407.—आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 760, दिनांक 29 अप्रैल, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/884, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/275, दिनांक 13 फरवरी, 2017 से सह. विस्तार अधिकारी सागर के स्थान पर श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 जुलाई, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/884, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुऐ आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 760, दिनांक 29 अप्रैल, 2000 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री मुन्नालाल	अध्यक्ष	7.	श्री सुमत जैन	श्री ज्ञानचंद जैन	सदस्य
2.	श्री रामकिशन	श्री भगवानदास	उपाध्यक्ष	8.	श्री मनोज	श्री मुन्नालाल	सदस्य
3.	श्री विनोद सिंह	श्री लक्ष्मण सिंह	सदस्य	9.	श्री उत्तम सिंह	श्री मंगल सिंह	सदस्य
4.	श्री जितेन्द्र सिंह	श्री के. के. एस. सिंह	सदस्य	10.	श्रीमति शशिकांति	श्री विजय कुमार	सदस्य
5.	श्री मुकेश जैन	श्री शिखर चंद जैन	सदस्य	11.	श्रीमति जयन्ती	श्री रामकिशन	सदस्य
6.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री आलमचंद सिंह	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(1451-O)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 22 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को

धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	नर्मदा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चितावल	453/05-02-2015	483/31-03-2017	अशोक काग
2.	समर्पण साख सह संस्था मर्या., पाटी	438/09-12-2014	482/31-03-2017	अशोक काग
3.	दरीया साख सह संस्था मर्या., पाटी	482/29-04-2015	468/31-03-2017	अशोक काग
4.	रिद्धी-सिद्धी साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद	481/29-04-2015	462/31-03-2017	अशोक काग
5.	चौकी माता बीज उत्पादक सह. संस्था, चौकी	326/31-01-2013	473/31-03-2017	अशोक काग
6.	माँ संतोषी ग्रा. म. बहु. सह. संस्था मर्या., औसाड़ा	132/07-08-2003	451/31-03-2017	अशोक काग

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 22 जुलाई, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशोक काग,

(1461) स.नि. एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 03 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2017/1894.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा धनश्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भूली (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर//सी. डब्ल्यू. ए/ 953, दिनांक 10 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है. वर्तमान परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी पॉढुर्णा द्वारा उक्त सोसायटी को पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 20 सितम्बर, 2015 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी पॉढुर्णा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है.

अत: मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, छिन्दवाड़ा म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/1526 दिनांक 05 मई, 2016 को निरस्त करता हूं एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री रविशंकर गौरे	अध्यक्ष
2.	श्री सेवकराम गौरे	उपाध्यक्ष
3.	श्री मादो गौरे	संचालक
4.	श्री अरविंद खडे	संचालक
5.	श्रीमती कुरमाबाई गौरे	संचालक

6.	श्री किसन भादे	संचालक
7.	श्री बलराम धुर्वे	संचालक
8.	श्री हरिराम माकू खण्डाते	संचालक
9.	श्री महादेव धागरे	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1460)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-56 (1) के अंतर्गत)

क्र./विधि/2017/2408.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-56(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सोसायटी ऐसे अभिलेख रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें बनाये रखेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा विवरणियां देगी, जिनकी कि उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जावे. अधिनियम की धारा-56 (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर वित्तीय पत्रक एवं विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान है. गृह निर्माण सहकारी संस्था की उपविधि के अनुसार संस्था की पुस्तकों एवं विवरणियों को संधारित करने या करवाने का पूर्ण दायित्व अध्यक्ष का है. इस प्रकार उक्त जानकारियां एवं विवरणियां प्रस्तुत करने का दायित्व भी अध्यक्ष का है.

2. मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-15/23/2014/15-1, दिनांक 28 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रदेश की समस्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं से वांछित दस्तावेज/विवरणियां/सूचनाएं निर्धारित समय सीमा में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराई जावे जिसके पालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक विधि/2017/116, दिनांक 16 जनवरी, 2017 से विभागीय अंकेक्षकों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये, आदेशित किया गया था. किन्तु अधिकांश संस्थाओं द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों एवं इस आशय के विभागीय आदेशों का पालन समय-सीमा में नहीं किया गया है.

3. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 डी/घ (दस) अर्थात धारा-72-ख की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबंधों का अनुपालन न करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है. धारा-72-ख की उपधारा (1) के खण्ड (च) निम्नानुसार है:-

"प्रत्येक गृह निर्माण सोसायटी खण्ड (ख) और खण्ड (ड़) के अधीन तैयार की गई सदस्यता सूची और सदस्यों की प्राथमिकता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलन पत्र तथा आस्तियां और दायित्वों की विशिष्टियां जिले के संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी और यह जानकारी जनसाधारण को सोसायटी की बेवसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी."

अत: ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं जिनके द्वारा उपरोक्त कण्डिकाओं के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, कि इस आदेश के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वे आगामी 30 दिवस के भीतर वांछित जानकारियां/विवरणियां जनसाधारण की जानकारी हेतु विभागीय बेवसाईट/पोर्टल पर अपलोड की जाकर उसकी एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जावे. यदि संबंधित संस्था के अध्यक्ष/पदाधिकारी/अधिकारी निर्धारित समयावधि में इसका पालन करने में असफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-76 (2) के तहत् अभियोजन प्रस्तुत करने की अनुमति जारी करने हेतु कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
उप-पंजीयक.

(1459)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, मण्डला

आदिवासी बैगा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मटियारी सिमरिया, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 29 जून, 1994, विकासखण्ड बिछिया को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2014/2472, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2015/1549, मण्डला, दिनांक 25 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिछिया को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई, 2017 का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, आलोक दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी बैगा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मटियारी सिमरिया का परिसमापन आदेश क्रमांक/स.पं.म./परिसमापन/2014/2472, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(1454)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 22 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/क्यु.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	संत रविदास मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	1053/13-09-2011	263/09-03-2016

अत: मैं, आर. सी. बीजापारी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(1455)

शाजापुर, दिनांक 22 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/क्यु.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सरदार पटेल मेडिकल सह. संस्था मर्या., शुजालपुर मंडी	1067/25-06-2012	134/04-02-2016

अत: मैं, आर. सी. बीजापारी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत

भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(1455-A)

शाजापुर, दिनांक 22 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/क्यु.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	राजीव खाद्य एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	627/07-02-1995	966/05-09-2008

अत: मैं, आर. सी. बीजापारी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. सी. बीजापारी,
परिसमापक एवं व.स.नि.

(1455-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला सतना

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1223, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा SCI, व. सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 02 मई, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1456)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1244, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह, विकासखण्ड रामपुरबाघेलान, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी CI, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह, विकासखण्ड रामपुरबाघेलान, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 23 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1456-A)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/837, सतना, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नौबस्ता, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नौबस्ता, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 23 नवम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1456-F)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/834, सतना, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खमरेही, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खमरेही, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 584, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,
उप-पंजीयक.

(1456-G)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 13 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया

गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ खेरमाई महिला बहु. सह. समिति, गुढ़वा	476/12-03-2004	700/08-06-2017
2.	पद्मावती महिला बहु. सह. समिति, बरागड़ौली		701/08-06-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदारी-देनदारी) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था का परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नरेन्द्र सिंह,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(1456-B)

सतना, दिनांक 14 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 692-695, दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	किसान रसायनिक खाद्य क्रय-विक्रय सहकारी, माधवगढ़	567/27-08-2009	692/08-06-2017
2.	रजिया महिला उद्योग सह. समिति, जवाहरनगर, सतना	493/28-01-1993	693/08-06-2017
3.	महिला गृह पापड़ बड़ी उद्योग सह., कामताटोला, सतना	98/22-06-1993	694/08-06-2017
4.	प्राथमिक सह. उप. भण्डार मर्या., जैतवारा	68/24-02-1962	695/08-06-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदारी-देनदारी) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था का परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(1456-C)

सतना, दिनांक 14 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 796-798, 801-802, दिनांक 03 जुलाई, 2017 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सगौनी	679/31-01-2011	796/03-07-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., निरगौती	696/05-05-2011	797/03-07-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बम्हनाड़ी	716/23-01-2012	798/03-07-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., देवरीखुर्द	776/18-07-2012	801/03-07-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., हरदुआ कोठार	769/03-07-2012	802/03-07-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदारी-देनदारी) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था का परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(1456-D)

सतना, दिनांक 14 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 803-807, दिनांक 03 जुलाई, 2017 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
10.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गौहानी	676/31-01-2011	803/03-07-2017
11.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मोहरबा	619/21-10-2010	804/03-07-2017
12.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गौहानी II	662/23-12-2010	805/03-07-2017
13.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मसमासीकला	622/21-10-2010	806/03-07-2017
14.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पुरैना	617/21-10-2010	807/03-07-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदारी-देनदारी) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था का परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

अश्वनी कुमार सिंह (S.A.),
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(1456-E)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 29 जून, 2017

क्र./परि./2017/888.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/696, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./829, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही. डी. एस./829, दिनांक 08 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457)

विदिशा, दिनांक 29 जून, 2017

क्र./परि./2017/889.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/523, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शहरवासा, तहसील पठारी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./डी.आर./व्ही.डी.एस./403, दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शहरवासा, तहसील पठारी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शहरवासा, तहसील पठारी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./डी.आर./व्ही. डी. एस./403, दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-A)

विदिशा, दिनांक 29 जून, 2017

क्र./परि./2017/890.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/695, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महोली, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./864, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महोली, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महोली, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन

क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./864, दिनांक 30 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-B)

विदिशा, दिनांक 29 जून, 2017

क्र./परि./2017/891.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/694, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./873, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./873, दिनांक 30 मार्च, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-C)

विदिशा, दिनांक 30 जून, 2017

क्र./परि./2017/896.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डंगरवाडा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./295, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डंगरवाडा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डंगरवाडा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./295, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-D)

विदिशा, दिनांक 20 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1065.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेहलुआ चौराहा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./400, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेहलुआ चौराहा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेहलुआ चौराहा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./400, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-E)

विदिशा, दिनांक 20 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1066.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पचमा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./376, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पचमा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पचमा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./376, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-F)

विदिशा, दिनांक 20 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1067.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरदूखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./349, दिनांक 05 फरवरी, 1990 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरदूखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरदूखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./349, दिनांक 05 फरवरी, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1457-G)

विदिशा, दिनांक 20 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1068.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2004/895, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./306, दिनांक 02 मई, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./306, दिनांक 02 मई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,

(1457-H) उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 13 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1215.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाड़ौर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./एम.एन.ए./811, दिनांक 27 जनवरी, 1989 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2017-18/986, दिनांक 08 जून, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 10 जुलाई, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. संस्था ने निर्वाचन अधिकारी श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक से निर्वाचन भी नहीं कराया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाड़ौर, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जाक खान, पद पर्यवेक्षक, कार्यालय ग्वालियर दुग्ध उत्पादक सहकारी मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(1458)

मुरैना, दिनांक 21 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1262.—जय सिद्धबाबा खनिज सहकारी संस्था मर्या., पारोली, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./एम.एन.ए./1079, दिनांक 10 जून, 1996 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2017-18/1077, दिनांक 22 जून, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 21 जुलाई, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. संस्था प्रशासक श्री ओ. एन. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी को रिकार्ड चार्ज में नहीं दिया गया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये जय सिद्धबाबा खनिज सहकारी संस्था मर्या., पारोली को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(1458-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 21 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री ओ. एन. शर्मा, (A.O.)/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना.

क्र./परि./2017-18/1261.—यह कि महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एम.एन.ए./1436, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं:-

1. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
3. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करया जा रहा है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई,1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 21 अगस्त, 2017 तक लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपकों स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1458-A)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/819.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा दिव्या शक्ति उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा, पंजीयन क्रमांक/ARH/50, दिनांक 21 जनवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा-70 के अन्तर्गत श्री यू. एस. राठौर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99, पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये दिव्या शक्ति उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा, पंजीयन क्रमांक/ARH/50, दिनांक 21 जनवरी, 2004 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक/285, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1414-F)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1, 2017-भाद्र 10, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्राय: इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा टीकमगढ़ को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील भिण्ड (भिण्ड), टीकमगढ़ बल्देवगढ़, पलेरा व ओरछा (टीकमगढ़) में कहीं-कहीं वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.- जिला पन्ना, दमोह, रीवा में जुताई व बालाघाट में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला दमोह, रीवा व नरसिंहपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- जिला बैतूल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, गुना में फसल सरसों, चना, सागर में मसूर, चना, अनूपपुर में राई-सरसों, मसूर व पन्ना, सीधी, मंदसौर, शाजापुर, खरगौन, खण्डवा, राजगढ़, भोपाल, बैतूल, कटनी, डिण्डौरी, इन्दौर, सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला शहडोल, बड़वानी व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***2. जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. *जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. डबरा	. .		(2) . .		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मसूर, सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	2.0				
5. बल्देवगढ़	1.0				
6. पलेरा	3.0				
7. ओरछा	3.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, रबी फसलों का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. मसूर, चना फसल का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य, बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, अन्य सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .		(2) . .		
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रबी, जुताई बोनी का कार्य चालू है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर,अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई, गेहूँ, जौ, अन्य अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. गोहपारु	. .		(2) . .		
4. जैसिंहनगर	. .				
5. बुढार	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. राई-सरसों, मसूर की कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .		(2) तुअर, अलसी, मसूर समान.		
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, तुअर, राई, चना, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) समान.		
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ चना, राहर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .	का कार्य चालू है.	4.(1) गेहूँ चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना राई-सरसों मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		रबी, ज्वार, कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) . .		
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) . .		
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		अलसी, राई-सरसों कम.		
4. खरगौन	. .		तुअर, चना समान.		
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. *जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	कार्य चालू	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1)चना, तिवड़ा, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		अलसी, राई-सरसों, मूँग	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		अधिक. गेहूँ, धनिया कम.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल, गेहूँ, चना,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. भैंसदेही	. .	मटर, मसूर की कटाई	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) समान.		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	कार्य चालू.	4. (1)तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मसूर,चना, मटर, अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला श्योपुर, ग्वालियर, रतलाम, आगर, बुरहानपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1434)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.